

(78)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(04)चिस्वा/2/2014पार्ट

जयपुर,दिनांक: - 11/9/17

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय:- इन सर्विस कोटे से पीजी करने वाले चिकित्सको को अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपकी अभिशंषा के अनुसार सेवारत कोटे से पीजी अध्ययनरत निम्न चिकित्सको को कोर्स ज्वाइन करने की तिथी से तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पीजी में अध्ययनरत विभाग
1.	डॉ सुभाष विश्नीई	चर्म रोग
2.	डॉ रवि कुमार सैनी	जन. मेडिसिन
3.	डॉ चन्द्रशेखर शर्मा	जन. मेडिसिन
4.	डॉ मुकेश कुमार वैष्णव	जन. मेडिसिन
5.	डॉ प्रखरांशु सिंह धाकड़	जन. मेडिसिन
6.	डॉ सन्दीप शिवरान	नैत्र रोग
7.	डॉ प्रमोद सुण्डा	अस्थि रोग
8.	डॉ नरेन्द्र सिंह	अस्थि रोग
9.	डॉ जय पानेरी	अस्थि रोग
10.	डॉ पंकज कुमार पूनियां	अस्थि रोग
11.	डॉ सुमेर सिंह शेखावत	अस्थि रोग
12.	डॉ जितेन्द्र सिंह फौजदार	शिशु रोग
13.	डॉ श्रेया चौपडा	शिशु रोग
14.	डॉ सुमित राही	रेडियोलोजी
15.	डॉ सपना कुमारी	स्त्री एवं प्रसूति रोग
16.	डॉ अविरल कुमार सिंह	टीबी एण्ड चेस्ट

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर।
2. अति निदेशक(राजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर को प्रेषित कर लेख है उपरोक्त चिकित्सको से नियमानुसार राज्य सेवा का बन्ध पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित चिकित्सक।
4. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव


OK

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-2017पार्ट-11/2017/1365 दिनांक 8/09/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, महात्मा गांधी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, जयपुर।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, / सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी / रा0चि / पीएचसी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. सम्बन्धित चिकित्सक को।
5. रक्षित / निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।